रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 869] नई दिल्ली, सोमवार, मई 16, 2011/वैशाख 26, 1933
No. 869] NEW DELHI, MONDAY, MAY 16, 2011/VAISAKHA 26, 1933

कोयला मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2011

का.आ. 1066(अ).— केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2262 तारीख 8 सितम्बर, 2010 को भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 11 सितम्बर 2010 में प्रकाशित होने पर उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि और ऐसी भूमि में या उस पर के सभी अधिकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त भूमि कहा गया है) उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, आत्यंतिक रूप में केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए थे;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है, कि एनटीपीसी लिमिटेड, विद्युत मंत्रालय के अधीन एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है (जिसे इसमें इसके पश्चात् सरकारी कम्पनी कहा गया है), ऐसे निबंधनों और शर्तों का, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अधिरोपित करना उचित समझे, अनुपालन करने के लिये रजामंद है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि इस प्रकार निहित उक्त भूमि और 512.80 हेक्टर (लगभग) माप वाली भूमि में या उस पर के अधिकार, तारीख 11 सितम्बर, 2010 से केन्द्रीय सरकार में इस प्रकार निहित बने रहने के स्थान पर, निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के आधीन रहते हुए, उक्त सरकारी कम्पनी में निहित हो गए समझें जाऐंगे, अर्थात् :-

(1) सरकारी कम्पनी, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन यथा अवधारित प्रतिकर, ब्याज, नुकसानी और वैसी ही मदों के बाबत सभी संदाय विद्युत मंत्रालय के माध्यम से केन्द्रीय सरकार को करेगी;

(2) उक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन सरकारी कम्पनी द्वारा शर्त (1) के अधीन, केन्द्रीय सरकार को संदेय रकमों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए एक अधिकरण का गठन किया जाएगा तथा ऐसे किसी अधिकरण और ऐसे अधिकरण की सहायता के लिए नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में उपगत सभी व्यय, सरकारी कम्पनी द्वारा वहन किये जायेंगे और उसी प्रकार ऐसी निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के लिए या उनके संबंध में सभी विधिक कार्यवाहियों जैसे अपील आदि की बाबत उपगत सभी व्यय भी, उक्त सरकारी कम्पनी वहन करेगी;

(3) सरकारी कम्पनी को केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों की, ऐसे किसी अन्य संबंध में, जो इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के बारे में, केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों द्वारा या उनके विरुद्ध किन्ही कार्यवाहियों के संबंध में आवश्यक हो क्षतिपूर्ति करेगी;

(4) सरकारी कम्पनी को, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, उक्त भूमि पर के अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने की शक्ति नहीं होगी; और

(5) सरकारी कम्पनी, ऐसे निदेशों और शर्तों को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, जब कभी आवश्यक हो, उक्त भूमि के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए दिए जाएं या अधिरोपित किए जाए, पालन करेगी ।

[फा. सं. 43015/7/2005-पीआरआईडब्ल्यू-1(खंड-IV)]

एस. सी. भाटिया, निदेशक

MINISTRY OF COAL

ORDER

New Delhi, the 22nd March, 2011

S.O. 1066(E).— Whereas, on the publication of the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S.O.2262, dated the 8th September, 2010, in the Gazette of India, Part-II, Section-3, sub-section (ii) dated the 11th September 2010, issued under sub-section (1)

of Section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), (hereinafter referred to as the said Act), the land and all rights in or over such land described in the Schedule appended to the said notification (hereinafter referred to as the said lands) vested absolutely in the Central Government free from all encumbrances under sub-section (1) of Section 10 of the said Act;

And whereas, the Central Government is satisfied that the NTPC Ltd., a Public Sector undertaking under the Ministry of Power (hereinafter referred to as the Government Company) is willing to comply with such terms and conditions as the Central Government thinks fit to impose in this behalf;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 the Central Government hereby directs that the lands measuring 512.80 hectares (approximately) and all rights in or over the such land so vested shall with effect from the 11th September, 2010 instead of continuing to so vested in the Central Government, be deemed to have been vested in the Government Company, subject to the following terms and conditions, namely :—

(1) The Government Company shall reimburse to the Central Government all payments made by the Central Government through Ministry of Power in respect of compensation, interest, damages and the like, as determined under the provisions of the said Act;

(2) A Tribunal shall be constituted under Section 14 of the said Act, for the purpose of determining the amounts payable to the Central Government by the Government Company under condition (1) and all expenditure incurred in connection with any such tribunal and persons appointed to assist the tribunal shall be borne by the Government Company and similarly, all expenditure incurred in respect of all legal proceedings like appeals, etc. for or in connection with the rights, in or over the said land, so vested, shall also be borne by the Government Company;

(3) The Government company shall indemnify the Central Government or its officials against any other expenditure that may be necessary in connection with any proceedings by or against the Central Government or its officials regarding the rights in or over the said land so vested;

(4) The Government Company shall have no power to transfer the said land and the rights to any other person without the prior approval of the Central Government; and

(5) The Government Company shall abide by such directions and conditions as may be given or imposed by the Central Government for particular areas of the said land, as and when necessary.

[F. No.-43015/7/2005-PRIW-I (Vol. IV)]
S. C. BHATIA, Director

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.